फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री शम्भूलाल पिता जुझार जी रेबारी, निवासी ताल, पोस्ट ताल, तह0 देवगढ, जिला राजसमन्द

– अपीलांट

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
एवं
2. लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ

– रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 39/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 19.09.2019 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकार, देवगढ के द्वारा जरिये क्रमांकः–सु0अधि0,05/2019/1822–23 दिनांक 03.09.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना तैयार की जाकर रजिस्टर्ड पत्र द्वारा भिजवायी जा चुकी है। तहसीलदार देवगढ द्वारा जरिये क्रमांकः उपदे/सूचना/2019/72–73 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना इस कार्यालय मे उपलब्ध नहीं होने संबंधी सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार देवगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से उसके पते पर भिजवायी जा चुकी है। अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, देवगढ व तहसीलदार, देवगढ को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर)राजसमन्द	

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)